

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1611

दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

1611. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

श्री बी.बी. पाटील:

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोगों के विशेषकर उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर (समय से पहले होने वाली मौतों सहित), वायु प्रदूषण/स्मॉग/पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे वायु प्रदूषण/स्मॉग/पार्टिकुलेट मैटर से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को कम करने/उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा चेन्नई उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) वायु प्रदूषण/स्मॉग/पार्टिकुलेट मैटर के दुष्प्रभाव से पीड़ित लोगों के लिए सार्वजनिक अस्पतालों में पर्याप्त स्वास्थ्य ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का उत्तर चेन्नई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): वायु प्रदूषण कई श्वसन रोगों और हृदय रोगों को बढ़ाने वाले कारकों में से एक माना जाता है। कई महामारी विज्ञान अध्ययनों में वायु प्रदूषण और वृद्धजनों में श्वसन रोग से पीड़ित लोगों में इस रोग के बढ़ने के बीच एक संबंध दिखाया गया है।

आईसीएमआर ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थमैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आईएचएमई) के सहयोग से "भारत के राज्यों में मृत्यु-दर, रोग-भार और जीवन प्रत्याशा पर वायु प्रदूषण का प्रभाव" शीर्षक से एक अध्ययन किया था [[http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196\(18\)30261-4](http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30261-4)] पर उपलब्ध है।

आईसीएमआर ने दिल्ली में 5 स्थानों पर आपातकालीन परिचर्या कक्षों में आने वाले रोगियों का विश्लेषण करके श्वसन रुग्णता पर वायु प्रदूषण में वृद्धि के तीव्र प्रभाव का प्रलेखन करने के लिए दिल्ली स्थित एक मल्टीसाइट अध्ययन भी किया है। कुल 33213 रोगियों का नामांकन और विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण से पता चलता है कि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि आपातकालीन परिचर्या कक्षों में रोगियों की संख्या वृद्धि से संबद्ध थी। बच्चों में यह प्रभाव अधिक स्पष्ट था।

भारत सरकार ने वायु प्रदूषण के मुद्दों के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

- प्रधान मंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई) का उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन - एलपीजी प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- भारत के शहरों, छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों, सड़कों और अवसंरचना को साफ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का स्वच्छ हवा स्वच्छ भारत का एक अभिन्न अंग है।
- “पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना” संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत, कृषि मशीनों और स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी उपकरणों को अलग-अलग किसानों को 50% सब्सिडी और कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी के साथ बढ़ावा दिया गया है।
- कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्रों की स्थापना और ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए एक पहल के रूप में किफायती परिवहन की दिशा में टिकाऊ विकल्प (एसएटीएटी) शुरू किया गया है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019 से देश में जलवायु संवेदी स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता, क्षमता निर्माण सृजित करने, स्वास्थ्य क्षेत्र तैयारी और प्रतिक्रिया तथा साझेदारी से संबंधित कार्यकलाप करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) शुरू किया है। अब इस कार्यक्रम का विस्तार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया है तथा जलवायु संवेदी रोगों, पर प्रशिक्षण, गंभीर श्वसनीय रोग तथा उष्णता संबंधी रोगों पर ही निगरानी, वायु प्रदूषण और उष्णता संबंधी आईईसी कार्यकलाप तथा इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का सृजन और प्रसार करने संबंधी प्रशिक्षण के रूप में विभिन्न कार्यकलाप किए गए हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा 131 गैर-लक्ष्य प्राप्ति और एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में कार्यान्वयन के लिए एक शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार की गई है और इसका कार्यान्वयन शुरू किया गया है, जिसमें वाहनों के उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोमास को जलाना/फसल/कचरा/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, लैंडफिल, निर्माण कार्यकलापों, औद्योगिक उत्सर्जन आदि जैसे स्रोतों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर विशिष्ट लघु/मध्यम/दीर्घकालिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चेन्नई शहर विशिष्ट कार्य योजना में वाहनों, सड़क की धूल, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) कार्यकलापों, बायोमास और कचरा जलाने

और उद्योगों जैसे स्रोतों को लक्षित किया गया है। इस योजना में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के सुदृढीकरण और नागरिकों के बीच जन जागरूकता सृजन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत नए अस्पतालों की स्थापना और अवसंरचना उन्नयन सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से पीएमएबीएचआईएम भी शुरू किया है जो प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट परिचर्या सेवाओं पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में एनएचएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न है।

अनुलग्नक		
वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्र से जारी राशि		
(करोड़ रूपए में)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएचएम
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43.68
2	आंध्र प्रदेश	1199.37
3	अरुणाचल प्रदेश	188.53
4	असम	1955.93
5	बिहार	1748.76
6	चंडीगढ़	17.47
7	छत्तीसगढ़	969.61
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	38.59
9	दिल्ली	127.37
10	गोवा	26.01
11	गुजरात	1094.48
12	हरियाणा	577.07
13	हिमाचल प्रदेश	555.09
14	जम्मू और कश्मीर	459.1
15	झारखंड	640.18
16	कर्नाटक	1274.71
17	केरल	771.47
18	लक्षद्वीप	8.41
19	मध्य प्रदेश	2295.66
20	महाराष्ट्र	1769.67
21	मणिपुर	95.59
22	मेघालय	282.46
23	मिजोरम	93.82
24	नागालैंड	126.66
25	ओडिशा	1263.07
26	पुदुचेरी	21.33
27	पंजाब	349.21
28	राजस्थान	1924.95
29	सिक्किम	51.86
30	तमिलनाडु	1631.91
31	त्रिपुरा	217.95
32	उत्तर प्रदेश	3235.46
33	उत्तराखंड	553.47
34	पश्चिम बंगाल	1654.26
35	तेलंगाना	725.67
36	लद्दाख	44.79
